

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -863/2016/जोधपुर

मैसर्स चोयल कन्सट्रक्शन कम्पनी, बेरा चोयलों का जूना मगारिया,
तहसील बिलाड़ा, जोधपुर

.....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एवं लिजिंग टेक्स, जोधपुर

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पी.एम. चौपड़ा
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी.पी. ओझा
उप-राजकीय अभिभाषक


.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 30.08.2016

निर्णय

1. उक्त अपीलें अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, जोधपुर-द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा गया है) के अपील सं. 27/ आरवैट/जेयूबी/2015-16 में पारित किये गये आदेश दिनांक 11.01.2016 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 82 के तहत प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2012-13 की अवधि का वार्षिक विवरण पत्र वेट-11 दिनांक 06.02.2014 को विभागीय वेबसाईट पर इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड कर हार्डकॉपी दिनांक 06.02.2014 को बिना विलम्ब शुल्क जमा कराये प्रस्तुत की। देरी से प्रस्तुत करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को त्रैमासिक करदाता मानते हुए नियम 19ए के तहत विलम्ब शुल्क रुपये 5,000/- आरोपित किया। उक्त कर निर्धारण के आदेश दिनांक 11.01.2016 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी द्वारा वार्षिक विवरण पत्र वेट 11 दिनांक 06.02.2014 को विभागीय वेबसाईट से हार्डकॉपी प्रिंट कर कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। विवरण पत्र को देरी से प्रस्तुत करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी पर प्रावधान नियम 19ए के तहत विलम्ब शुल्क आरोपित किया। जो कि

लगातार.....2



30/08/16

अविधिक व त्रुटि पूर्ण है। विलम्ब शुल्क का आरोपण बिना अधिकारिता के किये जाने की आपित्त जाहिर करते हुए विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि जिस जिस दिन अपराध हुआ है जिस दिनांक अपराध किया गया उस दिन के विधिक प्रावधानों के अनुसार विलम्ब शुल्क/शास्ति निर्धारण योग्य होती है। इस संबंध में अभिभाषक द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये :-

- (i) Sibia Healthcare Pvt. Ltd. V/s DCIT (2015) 171 TTJ 145 (Amritsar)
- (ii) Smt. G. Indhirani V/s DCIT-CPC-TDS (2015) 7 SET 137 (Chennai)
- (iii) CST V/s Sadanand Arya (1979) 43 STC 396 Allahabad High Court
- (iv) कमीशनर ऑफ सेण्ट्रल एक्साइज एवं कस्टम, मेरठ बनाम दीवान रबर इण्डस्ट्रीज (2015) टैक्समेन डॉट कॉम 338(sc)

उक्त तर्कों के परिपेक्ष में विद्वान अभिभाषक द्वारा उक्त अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

4. राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया कि विवरण पत्रों की देरी की स्थिति में विलम्ब शुल्क के संबंध में धारा 21 व नियम 19A के प्रावधानों में विलम्ब शुल्क की गणना, अभिनिर्धारण व जमा करवाने की विधिक बाध्यता अपीलार्थी व्यवहारी की होती है। प्रावधान के अनुसार विनिश्चित योग्य (Quantifiable) विलम्ब राशि (जिसका दायित्व निर्धारण की जिम्मेदारी भी व्यवसायी पर ही है) जमा करवाये जाने के बाध्यकारी प्रावधान है। अपीलार्थी द्वारा देरी से विभागीय वेबसाइट पर इलेक्ट्रोनिकली अपलोडेड हार्डकॉपी प्रस्तुत करने के संबंध में राजविष्टा सिस्टम को Enable किये जाने के कारण बिना consent के दिनांक 14.07.2014 से पूर्व देरी से प्रस्तुत हार्डकॉपी के विवरण पत्रों के संबंध में नियम 19(2) को जोड़ा गया है। अतः उक्त तर्कों के परिपेक्ष में विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
5. उभयपक्षों की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन एवं उद्धृत न्यायिक दृष्टांतों का अध्ययन किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2012-13 का वार्षिक विवरण प्रपत्र VAT-11 दिनांक 06.02.2014 को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। इसकी हार्डकॉपी भी दिनांक 06.02.2014 को प्रस्तुत की गई। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विवरण प्रपत्र VAT-11 की हार्डकॉपी विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर नियम 19A के तहत विलम्ब शुल्क का आरोपण किया गया।
6. इस संबंध में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम 2006 के नियम 19(2) का


30/08/16

लगातार.....3

उल्लेख किया जाना समीचीन है। नियम 19(2) के प्रावधान दिनांक 14.07.2014 से पूर्व निम्न प्रकार थे -

- (2) Every dealer shall submit return electronically through the official website of the department, unless otherwise notified by the Commissioner. The return shall be digitally signed by the dealer or his business manager and in case it is not digitally signed, the dealer shall furnish, the acknowledgement generated through official Web-Site of the Department and shall be verified by himself or his business manager by affixing his signature on it, within fifteen days of the last date for filing of such return(s) and in case the return(s) is filed after the last date of filing of return(s), within fifteen days of the filing of such late return(s), failure to do so shall be deemed to be a case of non filing of return(s).


नियम 19(2) के प्रावधान दिनांक 14.07.2014 से प्रभावी निम्न प्रकार हैं -

- (2) Every dealer shall submit return electronically through the official website of the department, unless otherwise notified by the Commissioner. The return shall be digitally signed by the dealer or his business manager.

However, where the dealer has given his consent to use the official website for submitting return in the prescribed manner, he may submit return without digital signature.

However, for the period prior to 01.04.2014, if the dealer has failed to furnish the signed copy of acknowledgement generated through the official website of the department, within the time prescribed under the rules which were in force at that time, the date of submission of signed copy of said acknowledgement shall be deemed to be the date of the filing of the return.

7. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ. 16(375)टैक्स/वैट/सीसीटी/2006/पार्ट-I/06-644 दिनांक 01.07.2013 के द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2012-13 के वार्षिक बिक्री विवरण प्रपत्र VAT-11 प्रस्तुत किये जाने की अवधि दिनांक 15.07.2013 तक बढ़ाई गई है। वर्ष 2012-13 की वार्षिक विवरण प्रपत्र VAT-11 प्रस्तुत करने की नियत तिथि 15.07.2013 थी। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2012-13 का वार्षिक विवरण प्रपत्र VAT-11 दिनांक 06.02.2014 को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। इसकी हार्डकॉपी भी दिनांक 06.02.2014 को प्रस्तुत की गई। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विवरण प्रपत्र VAT-11 की हार्डकॉपी विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर नियम 19A के तहत विलम्ब शुल्क का आरोपण किया गया।
8. इस सम्बन्ध में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 19A का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :-


30/08/16


लगातार.....4

Rule 19A - where a dealer furnishes the return after the prescribed time, he shall pay a late fee of :

- (i) rupees one hundred per day subject to a maximum of rupees fifty thousand in case the dealer is required to pay tax for each month or part thereof under section 20 of the Act; and
- (ii) rupees fifty per day subject to a maximum of rupees five thousand, in all other cases.

9. नियम 19(2) जो दिनांक 14.07.2014 से प्रभावी हैं, में यह प्रावधान किया गया है कि दिनांक 01.04.2014 से पूर्व की समयावधि के लिये विभाग की ऑफिशियल वेबसाईड के द्वारा जेनरेटेड हस्ताक्षरयुक्त पावती विहित समयावधि (जो तत्समय में प्रचलित थी) में प्रस्तुत करने में असफल रहने की स्थिति में पावती की हस्ताक्षरयुक्त कॉपी प्रस्तुत करने की दिनांक वह मानी जायेगी जो विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की दिनांक थी। इस संशोधन के पश्चात यह स्पष्ट है कि दिनांक 01.04.2014 से पूर्व की समयावधि के लिये यदि देय विवरण प्रपत्र विहित समयावधि में प्रस्तुत किया गया है तो पावती की हस्ताक्षरयुक्त कॉपी प्रस्तुत करने की दिनांक भी वही दिनांक मानी जायेगी। हस्तगत प्रकरण के संबंध में आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.07.2013 के द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2012-13 के लिये बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 15.07.2013 तक बढ़ाई गई है। अतः अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि के बिक्री विवरण प्रपत्र VAT-11 प्रपत्र दिनांक 06.02.2014 को प्रस्तुत किया गया जो कि नियत समयावधि के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि हस्ताक्षरयुक्त हार्डकॉपी दिनांक 06.02.2014 को ही प्रस्तुत कर दी गई अन्यथा भी नियम 19(2) के दिनांक 14.07.2014 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार वह सॉफ्टकॉपी प्रस्तुत किये जाने की दिनांक 06.02.2014 को ही प्रस्तुत किया जाना उपधारित की जाती है। किन्तु आलौच्य अवधि का बिक्री विवरण प्रपत्र VAT-11 सॉफ्टकॉपी नियत समयावधि के पश्चात् प्रस्तुत की गयी है। जिसके लिये नियम 19A के तहत विलम्ब शुल्क का आरोपण किया जाना विधिसम्मत है।


10. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की यह आपत्ति रही है कि जिस दिन अपराध हुआ है उस दिन के विधिक प्रावधानों के अनुसार शुल्क/शास्ति निर्धारित की जायेगी। अपीलार्थी की आपत्ति के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आलौच्य अवधि वर्ष 2012-13 के विवरण प्रपत्र VAT-11 दिनांक 15.07.2013 तक प्रस्तुत किया जाना जो कि दिनांक 06.02.2014 को प्रस्तुत किया गया। अतः उक्त विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण नियम 19A के तहत शास्ति अधिरोपित की गई। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि जिस अवधि के व्यतिक्रम के लिए यह शास्ति अधिरोपित की गई उस समय नियम 19 एवं 19ए प्रभावी थे और उन्हीं प्रावधानों के तहत यह शास्ति अधिरोपित की गई। माननीय


30/08/16

लगातार.....5

उच्चतम न्यायालय के मायारानी पुंज के निर्णय (1986) 157 आई.टी.आर. 330 के अनुसार विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब के बिन्दु पर शास्ति आरोपण के विषय में विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में चालू रहने वाला व्यतिक्रम उस दिन समाप्त होता है, जिस दिन विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किया जाता है या जिस दिन कर निर्धारण आदेश पारित किया जाता है। विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब हेतु शास्ति के प्रावधान व्यतिक्रम समाप्त होने वाले दिन जो प्रभावशील है, वे लागू होंगे। विलम्ब के परिणामस्वरूप भुगतान योग्य दायित्व किसी भी नाम से होने पर यह सिद्धान्त लागू होता है। अतः इस आधार पर विलम्ब शुल्क जमा कराने का दायित्व Consequential Quantification किये जाने योग्य है।

11. अपीलार्थी व्यवहारी को नियम 19ए की पालना में विहित लेट फीस का भुगतान करना है। यह लेट फीस विहित समयावधि के पश्चात विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की परिस्थिति में Consequential (पारिणामिक) प्रभाव का परिणाम है। लेट फीस स्वमेव पारिणामिक दायित्व है, जिसकी गणना उसके कर जमा कराने की श्रेणी के आधार पर की जायेगी। नियम 19ए के प्रावधानों के अनुसार मासिक कर दाता की श्रेणी में होने पर यह विलम्ब शुल्क अधिकतम रूपये 50,000/- होगी तथा मासिक करदाता की श्रेणी में नहीं होने पर लेट फीस अधिकतम रूपये 5,000/- होगी।
12. यह निर्विवादित है कि अपीलार्थी व्यवहारी मासिक करदाता की श्रेणी में नहीं आता है, अतः उक्त प्रावधानों अनुसार अधिकतम रूपये 5,000/- विलम्ब शुल्क आरोपणीय है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी रूपये 5,000/- विलम्ब शुल्क का आरोपण किया गया है, जिसकी अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है।
13. परिणामस्वरूप अपीलीय आदेश एवं कर निर्धारण आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।
14. निर्णय सुनाया गया।


(राजीव चौधरी)
सदस्य